

प्रकरण सं. ४८/२०२२

उपनाम

गोपी बगाम केस

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहं काम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

दिनांक 16-12-24

पत्रावली पेश हुई। पक्षी एवं वाही अधिकार का
उपरिष्पन्न नहीं। प्रतिवादी सं० १ व २ के अधिकार
उपरिष्पन्न। पक्षी एवं वाही अधिकार का है। गीन
का आवास लगायी इससे उपरान्त भी उपरिष्पन्न
नहीं है। अतः प्रकरण पक्षी की अहम लक्ष्मी
व पक्षी अधिकार की अहम पक्षी में
प्रकरण खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल
सुमा १ लेटर नम्बर से इस है।

सहायक अधिकारी